

:: आदेश ::

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि अन्तर्गत सौड भट्टगांव से क्यार्क फलासी मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित 2.800 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के परिपेक्ष्य में उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने तहसीलदार रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-611/२०का०-भूमि चयन/2018 दिनांक 16 जनवरी 2018 के द्वारा रा०उ०नि०क्षेत्र चोपता के अन्तर्गत ग्राम फलासी की ज०वि०२० खतौनी की श्रेणी 9(3)क ऐसे वन जिनका वर्गीकरण किसी वन सम्बन्धी विधान के अन्तर्गत किया गया हो के खतौनी खाता संख्या-09 जंगल के खसरा नं-2732 रकवा 7.033 है० मध्ये 2.800 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः शासनादेश संख्या-2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ए/—

(मंगेश घिल्डियाल),
आई.ए.एस.

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

संख्या-2022

/छब्बीस-एल०.ए०सी०(2011-12)

दिनांक, रुद्रप्रयाग, फरवरी ०३, 2018

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-

अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

2-

सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3-

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।

5-

आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।

6-

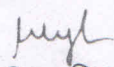
अधिसासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।

7-

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

8-

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, रुद्रप्रयाग।


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।